न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 06 / 2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022 / 76

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
श्री अर्जुनसिंह पुत्र मालमसिंह जति–राजपुत, निवासी–बिछावाड़ी तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	1 जोधाराम पुत्र पिथाराम 2 भुपाराम पुत्र पिथाराम जातियान–ब्राह्मण, निवासीगण–बिछावाड़ी 3 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 02.08.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानदास वैष्ठव, सुरेन्द्र सिंह गोहिल व विजय रत्नेश उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 07.02.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व की भाईबंट में आई हुई एवं आधिपत्य की कृषि भूमि गांव बिछावाड़ी, पटवार हल्का बिछावाड़ी तहसील–सांचौर में आराजी नंबर 1315 रकबा 2.81 हैक्टेयर स्थित है जो चालू राजस्व रिकॉर्ड खतौनी संख्या 178 नई व 158 पुरानी में प्रार्थी के पिताजी के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थी आधिपत्यधारी है व उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौसी है, प्रार्थी पिछले कुछ अर्से से उदयपुर रह रहा है इसलिए प्रार्थी के गांव व खेत पर नहीं आ पाने का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 अक्सर सीमा विवाद करते रहते थे हाल में भी कर रहे है विपक्षी संख्या 1 व 2 न केवल प्रार्थी की कृषि भूमि पर बल्कि आम रास्ता जो कि प्रार्थी की भूमि और विपक्षी गण की [illegible] से गुजरता है उस पर भी नाजायज कब्जा कर प्रार्थी की भूमि में घुसपैठ व सीमा विवाद कर रहे है इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि का नपती [illegible] करना आवश्यक हो गया है। उक्त पत्थरगढ़ी करने से विपक्षीगण को कोई असुविधा [illegible]ति नहीं होगी फिर भी विपक्षी संख्या 1 व 2 आपसी सहमति से पत्थरगढ़ी कराने हेतु तैयार नहीं है इसलिए प्रार्थी को श्रीमान के समक्ष यह आवेदन संस्थित करना अपरिहार्य हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी नंबर 1315 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.02.24 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested

2.81 हैक्टैयर मौजा बिछावाड़ी, पटवार हल्का बिछावाड़ी, तहसील–सांचौर का पत्थरगढ़ी करने हेतु उचित आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें।

प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आया तथा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार नहीं है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधि के विरूद्व है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावे। खसरा नंबर 1315 रकबा 2.81 हैक्टैयर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसका अभी तक कोई विधिवत बंटवाड़ा किया हुआ नहीं होने से प्रार्थी का हिस्सा अस्पष्ट होने से व रेकर्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है व उपरोक्त खसरा नंबरान के चारों ओर के पड़ौसियों को पक्षकार नहीं बनाया होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन व बेबूनियाद तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौसी है, प्रार्थी पिछले कुछ अर्से से उदयपुर रह रहा है इसलिए प्रार्थी के गांव व खेत पर नहीं आ पाने का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 अक्सर सीमा विवाद करते रहते थे हाल में भी कर रहे है विपक्षी संख्या 1 व 2 न केवल प्रार्थी की कृषि भूमि पर बल्कि आम रास्ता जो कि प्रार्थी की भूमि और विपक्षी गण की भूमि के मध्य से गुजरता है उस पर भी नाजायज कब्जा कर प्रार्थी की भूमि में घुसपैठ व सीमा विवाद कर रहे है इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि का नपती कराकर सीमाकंन पत्थरगढ़ी करना आवश्यक हो गया है। उक्त पत्थरगढ़ी करने से विपक्षीगण को कोई असुविधा या क्षति नहीं होगी फिर भी विपक्षी संख्या 1 व 2 आपसी सहमति से पत्थरगढ़ी कराने हेतु तैयार नहीं है अतः खसरा संख्या 1315 रकबा 2.81 हेक्टेयर मौजा बिछावाड़ी का पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नंबर 1315 रकबा 2.81 हैक्टैयर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसका अभी तक कोई विधिवत बंटवाड़ा किया हुआ नहीं होने से प्रार्थी का हिस्सा अस्पष्ट होने से व रेकर्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है व उपरोक्त खसरा नंबरान के चारों ओर के पड़ौसियों को पक्षकार नहीं बनाया होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है। अतः खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी संवत् 2074–2077, राजस्व नक्शा एवं मौका फर्द भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

के अवलोकन से खसरा संख्या 1315 एवं पड़ौसी खातेदार के मध्य माठ को लेकर विवाद होना प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा बिछावाड़ी के खेत खसरा संख्या 1315 रकबा 2.81 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त आराजी की पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी का तमाम व्यय प्रार्थी स्वयं वहन करें। पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **07.02.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested